



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-100

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 317082 दिनांक 21/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sapna Meena W/o TEJENDRA KUMAR MEENA	श्री मुकुट बिहारी मित्तल पुत्र श्री देवकी नन्दन मित्तल	159	200.00 SQ. YARD	Private	ORIENTAL BANK STAFF COLONY	Name Transfer	जविप्रा की निजी खातेदारी योजना ओरियन्टल बैंक स्टाँफ काँलोनी के भूखण्ड सं. 159 क्षे. 200.00 व.ग. की लीजडीड श्री मुकुट बिहारी मित्तल पुत्र श्री देवकी नन्दन मित्तल को दिनांक 20.11.2013 को जारी किया गया। उक्त भूखण्ड का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्री मुकुट बिहारी मित्तल पुत्र श्री देवकी नन्दन मित्तल द्वारा श्री पुष्कर कुमार सोनी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सोनी को दिनांक 15.06.2018 को कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्री पुष्कर कुमार
सोनी पुत्र श्री
लक्ष्मीनारायण
सोनी द्वारा 1.
प्रकाश मीना पुत्र
श्री रामलाल मीना,
2 श्री दिनेश मीना
पुत्र श्री रामलाल
मीना को दिनांक
22.02.2022 को
कर दिया गया।
तत्पश्चात उक्त
भूखण्ड का बेचान
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र के माध्यम से
1. प्रकाश मीना
पुत्र श्री रामलाल
मीना, 2 श्री
दिनेश मीना पुत्र
श्री रामलाल मीना
द्वारा श्रीमती
सपना मीना पत्नी
श्री तेजेन्द्र कुमार
मीणा को दिनांक
09.06.2026 को
कर दिया गया।
आवेदनकर्ता श्रीमती
सपना मीना पत्नी
श्री तेजेन्द्र कुमार
मीणा द्वारा उक्त
भूखण्ड का नाम
हस्तान्तरण हेतु
आवेदन प्रस्तुत
किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sapna Meena W/o TEJENDRA KUMAR MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।